राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ.2/07/2020/एस–1/95 दिनांक 24/04/2020

स्पष्टीकरण

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने पर विचार किया गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं।

और जबकि आदेश सं. एफ.2/07/2020/एस.1/53, दिनांक 15.04.2020 जिसे इसके बाद के आदेश सं. .2/07/2020/एस–1/64, दिनांक 19/04/2020 के साथ पढ़ा जाए, के द्वारा कोविड–19 के संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में समेकित संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे. इन दिशा–निर्देशों के अनुलग्नक–I में, कोविड–19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निदेशों को विनिर्दिष्ट किया गया है और अनुलग्नक–II में, सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्वास्थ्य संबंधी उपायों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की गई है, जिनका सभी कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों तथा अन्य संस्थापनाओं द्वारा पालन किया जाएगा.

और जबकि, पत्र सं. 40–10/2020–डीएम–I(ए), दिनांक 23.04.2020 के द्वारा गृह मंत्रालय ने कुछ आशंकाओं के बारे में सूचित किया है जो दिशा–निर्देशों की गलत व्याख्या के कारण कुछ विनिर्माण सुविधाओं वाली कंपनियों द्वारा मीडिया में उठाई गई हैं. इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(i) यदि फैक्टरी में कोविड–19 के पॉजिटिव कर्मचारी पाए जाते हैं, तो राज्यों द्वारा सीईओ के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जेल की सजा भी शामिल है।

(ii) ऐसी स्थिति में, फैक्टरी परिसर 3 माह के लिए सील हो जाएगी।

(iii) पूर्व–सावधानियां नहीं बरते जाने पर, फैक्टरी को 2 दिन के लिए बंद किया जा सकता है और पूर्ण अनुपालन के बाद ही इसे पुनः खोले जाने की अनुमति दी जाएगी।

और जबकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि समेकित संशोधित दिशा–निर्देशों में ऐसी कोई धारा नहीं है और इसलिए ऐसी अनुपयुक्त आशंका का कोई आधार नहीं है।

और जबकि, कोविड–19 एक बहुत अधिक संक्रमण फैलाने वाली महामारी है, यह महत्वपूर्ण है कि सभी कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सोशल डिस्टेंसिंग और मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाए. तदनुसार, राष्ट्रीय निदेशों और उपर्युक्त उल्लिखित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कार्यस्थलों पर उचित सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं. कार्यस्थलों और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन दिशा–निर्देशों का पालन करेंगे।

और जबकि यह स्पष्ट किया जाता है कि 15 अप्रैल, 2020 के समेकित संशोधित दिशा–निर्देश पहले से प्रदत्त छूट में कोई कटौती नहीं करते हैं, जब तक कि छूट प्राप्त गतिविधि कंटेन्मेंट जोन के अंतर्गत नहीं आती। अतः, जिन उद्योगों को 15 अप्रैल, 2020 से पहले से काम करने की छूट मिली हुई है, उन्हें कंटेन्मेंट जोन से बाहर वाले क्षेत्रों में काम करने के लिए कोई अलग/नई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

और जबकि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन की शर्त पर, लॉकडाउन के दौरान पहले से अनुमति प्राप्त गतिविधियों की बहाली के लिए कोई नया लाइसेंस अथवा वैधानिक अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं है. उदाहरण के लिए, किसी औद्योगिक गतिविधि में, जिसे लॉकडाउन से पहले कामकाज की अनुमति थी, के लिए किसी नई वैधानिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे समेकित संशोधित दिशा–निर्देशों में एक अनुमोदित गतिविधि के रूप में शामिल किया जा चुका है और सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों का अनुपालन करते हुए, राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित प्राधिकरणों को निदेश दिए जाते हैं कि औद्योगिक फील्ड संस्थापनाओं और फील्ड कार्यालयों को लॉकडाउन उपायों संबंधी दिशा–निर्देशों से अवगत कराया जाए, जिनका महामारी के संक्रमण को रोकने पालन किया जाए। किसी विनिर्माण करने वाले वाणिज्यिक संस्थान के प्रबंधन को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से इनका उपयोग नहीं किया जाए।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
4. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।

5. आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम/उत्तर दिल्ली नगर निगम)।

6. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

1. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. प्रधान सचिव (स्वा0 एवं परि0 कल्या0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. राज्य कार्यकारी समिति, समस्त सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार हेतु।
11. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड फाईल।